[श्री आर० वी० स्वामीनाथन]

(7) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम अधिनियम, 1962 की धारा 14 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(8) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम अधिनियम, 1962 की धारा 17 की उपधारा (4) के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र।

(9) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 3405/82]

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए। आप बैठते क्यों नहीं ? बात क्या है ?

श्री नोरेन घोष (दमदम) : परिवार नियोजन (व्यवधान) दो व्यक्ति मर गये हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे आप उड़ीसा विधान सभा में उठा सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, ठीक है।

यह बात नहीं है इस तरके की यह तरीका नहीं है। कोई अन्य प्रस्ताव लायें। (व्यवधान)

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सभा प्रो० एन० जी० रंगा द्वारा 23 फरवरी, 1982 को प्रस्तुत किये गये और श्री एच० के० एल० भगत द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी, अर्थात :—

"कि राष्ट्रपति को सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :—

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये जो उन्होंने 18 फरवरी, 1982 को संसद को एक-साथ समवेत दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं'।"।

इस पर आये संशोधनों पर भी आगे विचार किया जायेगा।

माननीय प्रधान मन्त्री महोदया। (व्यवधान)

श्री रतन राजदा सिंह (बम्बई दक्षिण): क्या आपने नाम की घोषणा कर दी है ?

अध्यक्ष महोदय: मुझे नाम की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। 'प्रधान मन्त्री' पर्याप्त है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण): मैं प्रधान मन्त्री महोदया से निवेदन करता हूं कि वह पश्चिम-बंगाल की खाद्य स्थिति के बारे में कुछ कहें।

अध्यक्ष महोदय: कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए।

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): जब कभी भी हमने पश्चिम-बंगाल के बारे में कोई मामला उठाना चाहा आपने उसका विरोध किया है, यद्यपि उस समय...

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती: यह केन्द्र द्वारा खाद्यान्न आपूर्ति का प्रश्न है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी: चाहे कुछ भी हो, हमें एक मानक अपनाना चाहिये। या तो हम पश्चिम-बंगाल पर चर्चा करें...

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती: प्रधान मन्त्री महोदया को वहां की जनता की दुर्दशा को समझना चाहिये। वहां पर राशन प्रणाली अस्त-व्यस्त हो चुकी है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी: खाद्य मन्त्री यहां उपस्थित हैं। उन्होंने आपकी बात सुनी है और मुझे पक्का विश्वास है कि वह इस पर गौर करेंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व): जब वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होगा, तब।

श्रीमती इन्दिरा गांधी: नहीं, जब उनका दल सक्रिय है। ऐसा कैसे हो सकता है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी: अध्यक्ष महोदय, एक नया वर्ष आरम्भ हो गया है और हमने एक बार फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की है। संसद में वाद-विवाद चलता ही है, परन्तु कुछ अवसरों पर और विशेषकर, इस अवसर विशेष पर मैंने यह आशा की थी कि चाहे अस्थायी रूप से ही क्यों न हो, विपक्ष के सदस्य अपने छोटे-छोटे पूर्वग्रहों से ऊपर उठेंगे और इस अवसर का उपयोग कुछ मुख्य तथा राष्ट्रीय समस्याओं और पूर्वग्रहों पर गम्भीर चर्चा के लिये करेंगे। क्या मेरा यह सोचना गलत है कि कुल मिलाकर इस वाद-विवाद में उनका सहयोग

[श्रीमती इन्दिरा गांधी]

निराशा जनक रहा। विपक्ष के माननीय सदस्य तो प्राय: दोहराये जाने वाली अपनी ि य आलोचना और निजी पूर्वग्रहों में ही उलझे रहे हैं। ऐसा करने का उनका अधिकार है। इसलिये तो वे यहां हैं और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो जो कुछ वे हैं वैसे भी नहीं रहेंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप इस सबसे ऊपर उठिये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं संकीर्णता से सदैव ऊपर रही हूं।

पहले के वर्षों में, मैं विपक्ष से राष्ट्र के समक्ष एक वैकल्पिक कार्यक्रम रखने के लिए कहती रही हूं। अब मैं ऐसा नहीं कहती हूं, क्योंकि देश ने उनसे ऐसी आशा करना छोड़ दिया है। अब कोई भी उनमें ऐसा करने की सामर्थ्य नहीं मानता है। देश ने यह अनुभव कर लिया है कि उन्हें वैकल्पिक कार्यक्रम में कोई रुचि नहीं हैं और उन्होंने अपना ध्यान केवल सरकार को कमजोर करने और हो सके तो उसे गिराने पर केन्द्रित किया हुआ है, जब कि यह सरकार लोकतान्त्रिक ढंग से चुनी गई है।

विपक्ष के एक माननीय सदस्य ने तो राष्ट्रपति द्वारा देश के समक्ष आई बड़ी समस्याओं से जूझने के लिए सर्वदलीय सहयोग के आह्वान का उपहास किया। मेरे विचार से मुझे इस बात को दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि सरकार इस आह्वान को सर्वाधिक गम्भीरता से लेती है। माननीय सदस्य ने इसके लिए कई पूर्व-शर्तें लगाई। जिनमें से एक यह थी कि मैं सभी संदेहों और आशकाओं को दूर करके एक आश्वासन दूं मेरे विचार से ये उनके शब्द हैं—संविधान और उसके मुख्य ढांचे तथा न्यायपालिका की स्वतन्त्रता और प्रेस को खतरों के बारे में आश्वासन वह केवल यह शर्त लगाना भूल गये कि वे सरकार को तभी समर्थन देंगे जब उसके अपने लोग उसमें होंगे।

विपक्ष की इस वर्ष जो विचित्र स्थिति है उससे मुझे सहानुभूति है। प्याजों की कीमतें न बढ़ने के कारण उन्हें आंसू बहाने का अवसर नहीं मिला और मुद्रा स्फीति न होने के कारण वे विरोध भी न कर सके। विपक्ष के लिए निशाना ढूढ़ना कठिन हो गया है। निराश होकर उन्हें 1977 और उससे पहले के अपने घिसे-पिटे मुहावरों को ही अपनाना पड़ रहा है और लोकतन्त्र न्यायिक प्रणाली तथा चुनाव-प्रक्रिया आदि को 'खतरे' जैसी बातों को फिर से जीवित कर रहे हैं। वे यह नहीं समझते कि ऐसा करके वे अपने ही विरोधाभास को प्रकट करते हैं। और कुछ मामलों में अपनी राजनैतिक उद्घोषणाओं के खोखलेपन को प्रकट कर रहे हैं।

महोदय, हम लोकतन्त्र, लोगों की सार्वभौमिकता और संसद की पवित्रता के प्रति अपनी निष्ठा सिद्ध कर चुके हैं। जब मुझे जनता द्वारा चुन कर भेजे जाने के तुरन्त बाद इस सदन स निष्कासित किया गया गया था तो मैंमे अपने विचार नहीं बदले थे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपने भी ऐसा ही किया था। क्या आप भूल गई हैं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : कभी नहीं। हमने ऐसी बात कभी नहीं की।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपने भी तो यही किया था।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इसके विपरीत, कुछ अन्य लोगों का रवैया संसद के प्रति दोलायमान रहा है, जिससे यही पता नहीं चलता कि वे सदन में किस ओर बैठे हैं। प्रणाली वही एक है जिसने 1977 में उन्हें और उससे पहले के और 19 0 के चुनाव में हमें बहुमत दिलाया है। परन्तु ये ही लोग, सम्पूर्ण प्रणाली में परिवर्तन की वकालत करते हुए असंसदीय आन्दोलन चालू करने से नहीं हिचकिचाते हैं। ये ही लोग इस प्रणाली को खतरा पैदा करते हैं, हम नहीं, और विश्वसनीयता से मैं तो नहीं। अभी भी उनके सिद्धांतवादी, नये कार्य-क्रम बनाने में संलग्न हैं।

जहां तक न्यायपालिका का सम्बन्ध है, न्यायाधीशों के बारे में हाल ही में कुछ कठोर, कटु शब्द कहे गये थे। वे हमारे शब्द नहीं थे, अपितु न्यायिक विवेक के स्वयंभू संरक्षकों द्वारा कहे गये थे। यह ग्रुप क्यों क्रोधित था ? क्योंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानान्तरण के मामले में उच्चतम न्यायालय में सरकार की स्थिति को बनाये रखा था। ऐसा लगता है कि इन प्रकाण्ड विद्वानों की दृष्टि में कोई न्यायाधीश तभी हो सकता है, जब वह उस सब के विरुद्ध निर्णय देता है जिसे संसद ने पारित किया हो या कार्यकारिणी द्वारा किया गया हो। और जब वह राष्ट्रीय नीतियों में कोई गुण देखता है तो उस समय उसे गलत समझा जाता है। यह कोई न्यायिक सन्तुलन नहीं है। न्यायपालिका के लिए खतरा वे ही लोग पैदा करते हैं जो न्यायपालिका के प्रति ऐसी स्थायी नकारात्मक भूमिका निभाते हैं।

आरोप लगायें गये हैं कि हम पश्चिम-बंगाल में चुनावों को स्थगित करना चाहते हैं। मोर्चे के नेताओं और कुछ मित्रों को प्रतिदिन ऐसे वक्तव्य जारी करते रहने के सिवाय और कोई काम ही नहीं कि केन्द्र राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहता है। सम्भवत: यह उनकी अमोल कल्पना राज्य की सभी लोकतांत्रिक पार्टियों ने, जिनमें से कुछ को विपक्ष में प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, मतदाताओं की सही स्थिति को दर्शाने वाली मतदाता सूची तैयार करने की मांग की है। निर्वाचन प्रणाली को विश्वसनीय सिद्ध करने की यही एक मूलशर्त है। और इसकी मांग करना और वह भी सुस्थापित विधिक और वैधानिक पद्धति को अपनाकर, तो वह कुछ लोगों के वक्र तर्कानुसार "गैर-लोकतांत्रिक' हो जाता हैं। माननीय सदस्य ने अभी-अभी यह बात उठाई है ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत बुरी बात है। कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मेरा दल नहीं है। अब मैं यहां पर किसी प्रकार के तर्क में नहीं पड़ना चाहती हूं, परन्तु ऐसी यात कतई नहीं है। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत बुरी बात है। और बहुत ही असंगत बात है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : गढ़वाल के चुनाव को स्थगित किये जाने के बारे में भी हम बहुत कुछ सुन चुके हैं। इस मामले को लेकर विपक्ष के सदस्य बुरी तरह बौखलाए हुए हैं और उन्होंने परस्पर विरोधी और घोर विसंगतता का प्रदर्शन किया है। जब चुनाव-आयोग ने इस आधार पर उप-चुनाव को स्थगित किए जाने का आदेश दिया कि अन्य राज्यों से पुलिस-बल बुलाकर राज्य में तैनात किया गया तथा ऐसे ही अन्य कारण से, तो विपक्ष ने इस निर्णय को सच्चे रूप में लोकतान्त्रिक कह कर इसका स्वागत किया था और निर्वाचन प्रणाली की पवित्रता को निर्दोष बनाए रखने के लिए उसकी सराहना की थी। परन्तु उसके पश्चात एक अवसर पर जब उसी चुनाव आयोग ने इस आधार पर उप चुनाव को रद्द किया कि सुव्यवस्थित चुनाव कराने के लिए, प्रबन्ध पूरी तरह से होने चाहिए तो वे ही विपक्ष के लोग लोकतन्त्र और निर्वाचन प्रणाली को खतरों को लेकर चीखने-चिल्लाने लगे। महोदय, क्या इसका यह अर्थ है कि लोकतन्त्र केवल तभी सुरक्षित है और निर्वाचन प्रणाली तभी अपनी पवित्रता बनाये रख सकती है जबकि चुनाव-आयोग का निर्णय विपक्षी दलों के पक्ष में आता है। एक निर्णय का तो विपक्ष स्वागत करता है और दूसरे पर रोता-चिल्लाता और दोनों ही अवसरों पर सरकार को दोष देता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही असंगत बात है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यदि सरकार को पीटने के लिए आपके पास लाठियों की कमी है, तो आप ऐसी लाठियों का चुनाव मत कीजिये जो आपके हाथों को तोड दें और आपको अधिक घायल करें।

हिंसा का बढ़ना वास्तव में हम सभी के लिए गहरी चिन्ता का विषय है। सत्तरवें दशक के अन्त में उन कुछ व्यक्तियों और ग्रुपों के सत्ता में आने से जातिवाद के आतंक को बढ़ावा मिला है, जो जाति-भेद की बात करने और उसे प्रोत्साहन देने के लिए जाने जाते रहे हैं। कांग्रेस तो सदैव राज्यों के भीतर प्रत्येक ग्रुप और क्षेत्र के साथ उचित व्यवहार करने और उन्हें एक साथ रखने में विश्वास करती रही है। कांग्रेस ने एक दल के रूप में वर्ग-संघर्ष और जाति-संघर्ष के सिद्धान्तों की भर्त्सना की है और आपस में टकराते हितों में सुधार का पक्ष लिया है। यही

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

महात्मा गांधी जी, जवाहर लाल नेहरू तथा सरदार पटेल और मौलाना आजाद की भी नीति थी। यह हमारी परम्परा है। मैं इस बात से इन्कार नहीं करती कि कुछ अवसरों पर कुछ कांग्रेस जनों ने भी जाति का आतंक खड़ा किया हैं, परन्तु हम इसकी निन्दा करते हैं और इसके विरुद्ध कार्यवाही करते हैं। हम उन सभी विभिन्न वर्गों को समान अवसर प्रदान करने का अपनी ओर से भरसक प्रयत्न करते हैं जो हमारे राष्ट्र का निर्माण करते हैं।

अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रति हमारे विशेष कर्त्तव्य हैं। उनकी सुरक्षा और कल्याण हमारी इस प्रणाली के लिए मुख्य बातें हैं। उनकी सहायता करने और उनके साथ-साथ उन सभी की सहायता करने का हमने पक्का निश्चय किया हुआ है, जिन्हें गरीबी के कारण अवसरों और उचित स्थान से वंचित रखा गया है।

मिजोरम या शेष पूर्वोत्तर का उल्लेख न करने के कारण अभिभाषण की आलोचना की गई है। राष्ट्र उस क्षेत्र में उन गुम राह तत्वों से समझदारी और सख्ती से निपटता रहा है जो कि भूमिगत और आक्रमण हिंसक गतिविधियों में जुटे हुए हैं। हम राष्ट्रीय राजनीति और आर्थिक विकास की मुख्यधारा में उनको मिलाने के हर सम्भव तरीके को प्रयोग में लाने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में, गत दो वर्षों में, सारे पूर्वोत्तर में विकास गति में सुधार हुआ है।

मैं बहुत से विस्तार में नहीं जाना चाहती, परन्तु माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि पांच राज्यों तथा दो केन्द्र शासित प्रदेशों को छठी पंचवर्षीय योजना में 2387 करोड़ रु० आबंटित किये हैं। उत्तरी पूर्वी राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता 80% से अधिक है तथा प्रति व्यक्ति परिव्यय 1,393 रु० हैं जो कि अन्य राज्यों के आंकड़ों की तुलना में बहुत अधिक है। वर्ष 1982-83 के लिये किये गये आबंटन 1981-82 में किये गये आबंटनों से काफी अधिक हैं। उसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व परिषद के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 340 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है।

जहां तक मिजोरम का सम्बन्ध है, हमने श्री लालडेंगा के साथ लम्बी वार्ताएं की हैं। उसकी कुछ शर्तों को कोई भी सरकार नहीं मान सकती। उस क्षेत्र में स्थिति नियन्त्रण में है। मुझे बहुत अधिक दुख है कि मणिपुर में हाल ही में सुरक्षा कर्मचारियों पर घात लगाकर किये गये आक्रमण जैसी दुखद घटनायें होती हैं। मुझे विश्वास है कि यह सभा उन परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने में मेरे साथ सम्मिलित होगी जिनके प्रियजन तथा कमाने वाले मारे गये हैं।

आसाम के सम्बन्ध में सभा को जानकारी है कि हमने इस बारे में कितने धैर्य और सोच विचार से काम लिया है। हम विवेक, सहानुभूति तथा संवैधानिक जिम्मेदारी से नहीं डिगेंगे चाहे दूसरी तरफ से पूरा प्रति उत्तर न मिले। राष्ट्रपति महोदय इसका अधिक कठोर शब्दों

[श्रीमती इन्दिरा गांधी]

में उल्लेख कर सकते थे परन्तु हम कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहते थे जिससे वार्ता का वातावरण खराब हो। कुछ लोग बेचैन हो रहे हैं तथा मेरे ऊपर नीति बदलने का आरोप लगा रहे हैं। परन्तु हम धैर्य रखेंगे। अधिकतर विरोधी दल अब बातचीत से सम्बद्ध हैं तथा उन्हें समस्या की जटिलता की जानकारी है।

जन जीवन में भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनेक बातें कही गई हैं। विपक्ष के कुछ वक्ता ऐसी धारणा बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार की समस्या केवल अब ही हुई है और यह कि भ्रष्टाचार केवल सरकार में ही है। मैं सभा के सभी वर्गों से अपील करती हूं चाहे वे सरकार में हों सत्ता धारी दल में हों या विपक्ष में हों, कि उनको इस मामले में दलगत भावनाओं तथा राजनैतिक उद्देश्यों को त्यागकर कार्यवाही करनी चाहिए। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है चाहे वह किसी सत्ताधारी व्यक्ति द्वारा किया जा रहा हो या सत्ता के लिए महत्वाकांक्षी किसी व्यक्ति द्वारा या अन्य किसी के द्वारा किया जा रहा है। हमें इससे सभी मोर्चों पर तथा सभी स्तरों पर लड़ना है। आपसे पवित्र रुख अपनाकर बातें करते जाना तथा कुछ व्यक्तियों और उदाहरणों की ओर ही ध्यान देना या दिलाना निरर्थक होगा। भ्रष्टाचार चाहे कहीं भी हो वह सारे तन्त्र को दूषित कर देगा तथा एक बड़े रोग लक्षण के समझकर उसका उपचार किया जाना चाहिए। मैं सभा को तथा पूरे राष्ट्र को आश्वासन देती हूं कि हम इस बुराई को दूर करने के लिए हर स्तर पर तथा हमेशा अथक प्रयत्न करते रहेंगे। मैं सभी से इस कार्य के लिए पूरे देश में नैतिक चेतना जागृत करने तथा राष्ट्रीय शक्ति जगाने के लिए सहयोग तथा समर्थन देने की अपील करती हूं।

इस बार अभिभाषण के काफी अधिक भाग में आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। यह उचित ही है। हम अपनी जनता को यह बताना चाहते हैं कि पिछले 26 महीनों में हमने अर्थ व्यवस्था को पुनः आपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कैसे सतत, अथक तथा कठोर परिश्रम किया है। साथ ही साथ हमने निकट भविष्य में और अधिक प्रगति के लिए क्षमता का भी विकास किया है। क्या 20 लाख 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के लिए सिंचाई सुविधाओं का बढ़ाना जोकि हमने पिछले 2 वर्षों में प्रत्येक वर्ष किया है, तथा 30 लाख हेक्टेअर अगले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष बढ़ाने का हमारा जो प्रस्ताव है, यह सब नगण्य है? एक वर्ष के अन्दर पेट्रोलियम के उत्पादन में 60 प्रतिशत की वृद्धि क्या उपेक्षणीय है? हमारे इंजीनियर तथा हमारे तकनीशियन इस देश का निर्माण कर रहे हैं। उनको केवल सरकार तथा जनता के समर्थन और प्रोत्साहन की आवश्यकता है। हमारी सरकार इस प्रकार का समर्थन देती है हमें इन पुरुषों व स्त्रियों—तथा किसानों व औद्योगिक कर्मचारियों—जो कि सही अर्थों में हमारे देश के निर्माता हैं—पर गर्व होना चाहिए।

यह मानना कि हमें कर्मचारी वर्ग के प्रति सहानुभूत नहीं है, बेहुदा है। कर्मकारों ने यह समझना प्रारम्भ कर दिया है कि उनके असली मित्र तथा शुभ चिन्तक कौन हैं। वे विपक्षी राजनीतिज्ञ हैं जो उनका अपने राजनैतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग करते हैं या हम लोग जो उनके बेहतर भविष्य के लिए हर सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं ! क्या यह बात उस असफलता से स्पष्ट नहीं हो गयी जिसको आडम्बरपूर्ण तरीके से 'भारत बन्ध' कहा गया था।

हमारी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सरकारी क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में प्रभाव शाली स्थान है तथा इससे हमारे सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है यह एक विकास शील तथा व्यवहार्य गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ कार्य कर रहा हैं जिसे अपनी समृद्धि भी हमारे सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति में ही समझनी चाहिये। मैं सभा को आश्वासन दे सकती हू कि सरकार अपनी इस आधार भूत नीति से कभी विचलित नहीं हुई है। हम अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बना रहे हैं। परन्तु केवल उन्हीं क्षेत्रों में जहां पर नियन्त्रण तथा प्रतिबन्ध उत्पादन में बाधा पैदा कर रहे थे। हमारे विकास के प्रारम्भ के वर्षों में कुछ नियत्रण तथा प्रतिबन्ध हमारे बहुत से अविकसित कमजोर आर्थिक आधारों तथा नवोदित उद्योगों के संरक्षण के लिए आवश्यक थे आज हमारी स्थिति बदल गयी है हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत बन गयी है, हमारी अर्थव्यवस्था आत्म आश्वस्त बन गयी है। अब हम आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्रों में सर्वाधिक विकसित देशों के साथ मुकाबला करते है। हम आत्म निर्भरता से हटे बिना अत्याधुनिकतम प्रौद्योगिकी अपना सकते हैं। नियन्त्रणों तथा विनियमों को उदार बनाने से हमारी विकास तथा वृद्धि की नीति को ठोस सहायता मिलती है। बड़े औद्योगिक घराने अब हमारे सामाजिक प्राथमिताओं वाले क्षेत्रों में, उद्योग के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जो निर्यात के लिए उत्पादन करते हैं तथा उन क्षेत्रों में जिन का हमारे आर्थिक विकास तथा रोजगार प्रदान करने में अधिकतम प्रभाव पड़ता है, कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार से विदेशी पूजीनिवेश का स्वागत किया जा रहा है, यद्यपि वह उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में तथा हमारी नीति के अनुरूप होना चाहिए।

एक माननीय सदस्य ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत करके यह साबित करने का व्यर्थ प्रयत्न किया कि हम जहां पिछले वर्ष थे में वहीं के वहीं हैं। हमारी अर्थ व्यवस्था के सम्बन्ध में वर्तमान कठिनाई यह है कि 1977 के दौरान वह कई साल पीछे धकेल दी गयी थी। हमारा सारा समय इसको पुन: 1976-79 की स्थिति में लाने में लग गया है। बहुत से क्षेत्रों में इसने अपनी पहले जैसी तनदुरुस्ती प्राप्त नहीं की है।

एक माननीय सदस्य ने 1980-81 में अनाजों तथा दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता के आंकड़े बताते हुए कहा था कि इस वर्ष में वह 459-5 ग्राम रही जो कि 1978-79 के आंकड़ों से कम थी। उन्होंने सभा को यह नहीं बताया कि 1975-76 में प्रति व्यक्ति उपलब्धता 453.3 ग्राम थी तथा 1979-80 में यह कम होकर 416.9 ग्राम ही रह गयी थी। मगर मैं उस

[श्रीमती इन्दिरा गांधी]

सरकार को दोष नहीं दे रही जिसके वह विशिष्ट सदस्य थे, क्योंकि मुझे मालूम है कि उस समय सूखा पड़ा था। साथ ही साथ में इस बात पर क्षमा भी नहीं मांगना चाहती कि हमारी सरकार के आने के एक वर्ष के अन्दर ही प्रति व्यक्ति उपलब्धता 459·5 ग्राम हो गयी है। हमें यह महसूस करना चाहिए कि उपलब्धता के आंकड़े सूखा तथा मौसम की दशाओं के कारण प्रतिवर्ष घटते-बढ़ते रहेंगे। परन्तु क्या कोई इस बात से मना कर सकता है कि पिछले 15 वर्षों में हमा अनाजों का उत्पादन ?0% बढ़ा है?

हमसे यह भी पूछा गया है। कि अच्छी फसल होने के बावजूद भी हमने गेहूं का आयात क्यों किया तथा इस वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में कोई वृद्धि न होने पर भी मूल्यों में वृद्धि क्यों हुई। इसका कारण खोजने के लिए कहीं दूर नहीं जाना होगा और यह बात मैंने पहले ही स्पष्ट कर दी थी 1980-81 में यद्यपि अनाज का उत्पाद 1300 लाख टन था परन्तु 1979-80 में कम होकर यह 1090 लाख 70 हजार टन ही रह गया। भंडार खाली हो गये और सुरक्षित भंडार को 1?0 लाख टन के न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए उस समय गेहू का आयात करके जबकि मूल्य बहुत कम थे हमने बुद्धिमानी तथा दूरदर्शिता से काम लिया।

जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है, तेल ही केवल ऐसी वस्तु नहीं है। जिसका हम आयात करते है। उर्वरक, खाद्य तेल तिलहन तथा घरेलू उत्पादन के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का भी आयात किया जाता है यह भी याद रखना चाहिए कि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य स्तरों के परिणामों का प्रभाव पड़ना बन्द नहीं होता।

मैं ही नहीं संसार भर के विद्वान लोग इस आरोप पर आश्चर्य करेंगे कि हमारे यहां प्रतिभा की कमी है। हमारी प्रतिभा रचना की प्रतिभा है, यह जानने की प्रतिभा है कि जन सेवा कैसे की जा सकती है और उनके विश्वास को कैसे बनाये रखा जा सकता है।

यह वास्तव में दुख का विषय है कि माननीय सदस्य तथा उनके कुछ साथियों की प्रतिभा नष्ट करने तथा जनता के हौंसले को कमजोर करने की ही है। इस वादविवाद में भी "प्रतिक्रिया डायनमाईट होगी" शब्दों का प्रयोग किया गया था।

क्या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम तथा उत्पादकता वर्ष साथ-साथ चल सकते है? यह प्रश्न पूछा गया था? मैं प्रति उत्तर में दूसरा प्रश्न पूछती हूं क्या 'भारत बन्ध' से उत्पादकता बढ़ सकती है? ऐसे आरोप कि सरकार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के पीछे दौड़ रही है तथा बड़े व्यापार गृहों को लगान मुक्त कर रही है खोखले हैं। पुनरीक्षित 20 सूत्री कार्यक्रम की भी आलोचना की गई है। इस प्रकार से पहले भी की गयी थी। यह कार्यक्रम उत्पादन को महत्व देता है, परन्तु सामाजिक न्याय की कीमत पर नहीं। यदि निकट से तथा तटस्थता से अध्ययन किया जाये तो यह ज्ञात होगा कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम उत्पादन तथा कल्याण के मध्य एक सुन्दर सन्तुलन रखने का प्रयास है।

वास्तव में थोड़ा-सा स्पष्ट विचार ही इस बात को समझने के लिए पर्याप्त है कि उत्पादन के बिना कोई कल्याण सम्भव नहीं है। इस विषय पर मुझे अपने पिता के शब्द याद आ जाते हैं। हमारी स्वतंत्रता के शुरू के वर्षों में उन्होंने कहा था "बिना उच्च उत्पादन के समाजवाद एक निम्न स्तरीय गरीब समाजवाद होगा।"

सभी देश—चाहे वे पूंजीवादी हों या साम्यवादी या समाजवादी—आज उत्पादन पर बल दे रहे हैं और वह उचित ही है। विनियम जिनका एक मात्र गुण उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाना हैं, हमें अधिक समाजवादी नहीं बनाते। हम अपने देश के लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अधिक तेल, अधिक बिजली, अधिक उर्वरक तथा अधिक खाद्यान्न का उत्पादन करने के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न करते रहने का इरादा रखते हैं।

यदि हमने पहले ही तेल का अधिक उत्पादन कर लिया होता तो सातवें दशक के संकट का हमारे ऊपर इतना बुरा प्रभाव न पड़ता। उस समय विपक्षी बेंचों पर बहुत से सदस्य थे जिन्होंने श्री के० डी० मालवीय का विरोध किया था, परन्तु उन्होंने हमारी आत्म-निर्भरता को आघात पहुंचाया। यदि हम अब भी जल्दी से आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारे ऊपर भविष्य में और अधिक संकट आ सकते हैं।

अब तीव्र गति से प्रगति आवश्यक हैं हम जो कुछ भी निवेश और प्रौद्योगिकी प्राप्त कर सकते हैं उसे लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। हमारी सरकार तथा राजनैतिक तन्त्र तकनीकी रूप में तथा दूसरे प्रकार से इतने मजबूत है कि वे हमारी आत्मनिर्भरता को बाहरी धन तथा तकनीकी जानकारी का बन्धक नहीं बनने देंगे।

इसी को हम आगे बढ़ना कहते हैं। जनता सरकार की नीति भूतकाल में पीछे हटने की थी। हमारी भविष्य में आगे बढ़ने की है। मैं नहीं जानती कि साम्यवादी दल आगे बढ़ना चाहते हैं या पीछे हटना।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : आगे और तेजी से। (व्यवधान)

अपने आस-पास के खतरों को देखते हुए हमें अपनी अर्थ व्यवस्था और प्रौद्योगिकी को मजबूत बनाना बहुत आवश्यक है। कुछ लोग वर्तमान अवस्था की गंभीरता समझने में असमर्थ हैं। हाल ही में हुए सम्मेलन में मैंने कहा—"यदि किसी कारण से परमाणु बम फट जाए तो उससे अरबों लोग प्रभावित होंगे। राज्याध्यक्ष की इच्छा के बिना भी ऐसा हो सकता है। बहुत सी परमाणु पनडुब्बियां आस-पास के कई क्षेत्रों में घूम रही हैं। हर तरफ युद्ध संलग्नता बढ़ जाने से शास्त्रों में बढ़ोत्तरी के कारण यूरोप उस खतरे के प्रति जागरुक हो गया है। लेकिन केवल यूरोप को ही